केशरदेव – मदन सिंह आदि अ.क्र. 70/23

दिनांक	आज्ञा पत्र	
4.7.24	पत्रावली पेश। अधीनस्थ न्यायालय उक्त संशोधित शीर्षक पेश किया शामिल रहे। संख्या 2/16 23 की ओर से प्रत्यर्थी/अपीलार्थी आपत्ति द्वारा वकालतनामा पेश किया शामिल रहे। वास्ते बहस दिनांक 19.7.24 को पेश हो। भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी	
19.7.24	पत्रावली पेश। अधीनस्थ उक्त वास्ते बहस दिनांक 31.7.24 को पेश हो।	भू-प्रबन्ध अधिकारी एव पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर
31.7.24	पत्रावली पेश। बहस उभयपक्ष सुनी गई। पत्रावली वास्ते आदेश दिनांक 16/8/24 को पेश हो। भू-प्रबन्ध अधिकारी एव पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर	भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी सत्यमेव जयते सीकर
16.8.24	पत्रावील पेश । अपील अपीलांट खारिज की जाती है। निर्णय पृथक से लिखाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। निर्णय सरे इजलास सुनाया गया। प्रकरण फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद तरतीब तकमील दाखिल दफतर हो। भू-प्रबन्ध अधिकारी एव पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर	

न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : बलदेवाराम धोजक, RAS

अपील संख्या 70/2023

1 केशरदेव आयु वर्ष पुत्र भोमाराम जाति जाट निवासी ग्राम कटराथल तहसील व जिला सीकर राज.।

अपीलांट

बनाम

1 मदनसिंह पुत्र हरदेवा
2 परागी देवी पत्नी हरदेवा (मृतक)
2/1 केशर देवी पुत्री हरदेवा
2/2 रूकमा देवी पुत्री हरदेवा
2/3 सरस्वती देवी पुत्री हरदेवा
3 रिड़मल पुत्र नरसा
4 विजयपाल पुत्र पोखरराम
5 श्रीपाल पुत्र पोखरराम
6 छोटी देवी पत्नी पोखरराम
7 विमला देवी पुत्री पोखरराम
समस्त जाति जाट निवासीगण ग्राम कटराथल तहसील व जिला सीकर राज.।
8 भूमि धारक राज्य सरकार जरिये तहसीलदार सीकर।
9 उप पंजीयक अधिकारी सीकर।

रेस्पोडेंट

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध आदेश न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सीकर पीठासीन अधिकारी सुश्री गरिमा लाटा आरएएस दावा संख्या 44/2020 उनवानी केशरदेव बनाम मदनसिंह आदि दावा बाबत बंटवारा एवं स्थायी निषेधाज्ञा प्रसारणार्थ निर्णय एवं डिक्री दिनांकित 05.04.2022

अपील संख्या 30/2023

1 केशरदेव आयु वर्ष पुत्र भोमाराम जाति जाट निवासी ग्राम कटराथल तहसील व जिला सीकर राज.।

अपीलांट

बनाम

1 मदनसिंह पुत्र हरदेवा
2 परागी देवी पत्नी हरदेवा (मृतक)
2/1 केशर देवी पुत्री हरदेवा
2/2 रूकमा देवी पुत्री हरदेवा
2/3 सरस्वती देवी पुत्री हरदेवा
3 रिड़मल पुत्र नरसा
4 विजयपाल पुत्र पोखरराम
5 श्रीपाल पुत्र पोखरराम
6 छोटी देवी पत्नी पोखरराम

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

7 विमला देवी पुत्री पोखरराम
समस्त जाति जाट निवासीगण ग्राम कटराथल तहसील व जिला सीकर राज.।
8 भूमि धारक राज्य सरकार जरिये तहसीलदार सीकर।
9 उप पंजीयक अधिकारी सीकर।

रेस्पोडेंट

न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध आदेश न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सीकर पीठासीन अधिकारी सुश्री गरिमा लाटा आरएएस दावा संख्या 44/2020 उनवानी केशरदेव बनाम मदनसिंह आदि दावा बाबत बंटवारा एवं स्थायी निषेधाज्ञा प्रसारणार्थ निर्णय व डिक्री दिनांकित 07.02.2023

उपस्थिति :

1. श्री श्रवण झाझड़िया, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री सागरमल धायल, अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

–निर्णय–

दिनांकः– 16.8.24

यह अपील विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सीकर द्वारा मुकदमा नम्बर 44/2020 में पारित निर्णय दिनांक 05.04.2022, 07.02.2023 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि विचारण न्यायालय में वादी अपीलांट ने ग्राम कटराथल की भूमि खसरा नम्बर 821, 824, 825 के संदर्भ में विभाजन एवं स्थाई निषेधाज्ञा का वाद प्रस्तुत किया। विचारण न्यायालय ने बाद सुनवाई दिनांक 05.04.2022 को विभाजन की प्राथमिक डिक्री जारी की एवं दिनांक 07.02.2023 को अंतिम डिक्री जारी की है। प्राथमिक डिक्री के विरूद्व वादी अपीलांट ने धारा 5 के आवेदन के साथ अपील संख्या 70/2023 एवं अंतिम डिक्री के विरूद्व अपील संख्या 30/2023 प्रस्तुत की गई है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि प्रतिवादी संख्या 6 व 7 के संबंध में कोई अंकन निर्णय दिनांक 05.04.2022 में नहीं किया गया है एवं प्रतिवादी संख्या 7 लगायत 10 की तामील मान्य करते हुए एकतरफा कार्यवाही की गई है। प्रतिवादी संख्या 3 ता 5 के अधिवक्ता द्वारा हिदायत पैरवी होने के नोट अंकित करना बताया गया है। विचारण न्यायालय द्वारा प्रकियात्मक विधि की अवहेलना करते हुए दिनांक 05.04.2022 को प्राथमिक डिक्री जारी करने का आदेश दिया गया है। दावे और जवाबदावे में जहां समानता एकरूपता नही हो, पक्षकारान के मध्य किसी विषय पर विरोधाभास हो तो सिविल प्रकिया संहिता के नियम 14(3) व 20 (5) की पालना किया जाना आवश्यक है। विवाद्यक कायम कर प्रत्येक विवाद्यक पर विनिश्चय किया जाना आवश्यक है। न्यायालय द्वारा विधि की अनुपालना नहीं की जाकर सरलतम मार्ग अपनाते हुए प्राथमिक डिक्री जारी कर दी गई और प्राथमिक डिक्री में अभिवचनों से परे व विपरित जाकर अंकित किया कि

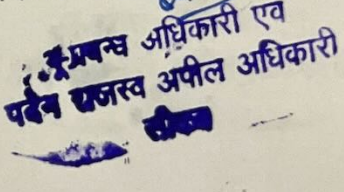

'पक्षकारान ने मौके पर बाहमी बंटवारे के अनुसार विभाजन चाहा है' जबकि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के अतिरिक्त किसी भी प्रतिवादी ने ऐसा कथन नहीं किया ना ही पत्रावली पर ऐसा कोई साक्ष्य सबूत है, ना ही प्रतिवादी संख्या 1 व 2 ने 70 वर्षों पूर्व बंटवारा होने का कोई साक्ष्य दस्तावेजी अथवा मौखिक पत्रावली पर पेश किया है। इस प्रकार विचारण न्यायालय द्वारा पक्षकारान द्वारा मौके पर बाहमी बंटवारे के अनुसार विभाजन चाहने का निष्कर्ष कतई गलत पत्रावली के विपरित एवं मनमाना है जो स्थिर रहने योग्य नहीं है। उक्त प्राथमिक डिक्री व निर्णय के आधार पर विभाजन प्रस्ताव तहसीलदार सीकर से प्राप्त किया गया, तहसीलदार सीकर द्वारा बिना वादी की उपस्थिति के प्रस्ताव बनाया, प्रतिवादी उपस्थित हुआ और अपने जवाबदावे के मुताबिक (प्रतिलिपि) प्रस्ताव बनवाया और पक्षकारान खातेदारान को नोटिस तक नहीं दिया गया और प्रस्ताव न्यायालय में भिजवा दिया गया जबकि खातेदारान व पक्षकारान को नोटिस दिये जाने के बाध्यकारी प्रावधानों की पालना नहीं की गई है। विचारण न्यायालय के बिना विधिक प्रावधानों पर गौर किये ही केवलमात्र यह कहते हुए कि दिनांक 07.02.2023 को खारिज कर दी कि 'तहसीलदार के नियम 18 से 21 के प्रावधानों को ध्यान में रखकर पक्षकारों के बाहमी बंटवारे को ध्यान में रखते बंटवारा प्रस्ताव तैयार किया है'। इस प्रकार वादी द्वारा की गई विधिक आपत्ति और विधिक प्रावधानों की पालना नहीं किये जाने को नजर अंदाज कर आपत्ति खारिज किया जाना अनुचित है एवं उसी दिन व दिनांक को अन्तिम डिक्री जारी कर दी कि वादी उक्त आपत्ति आवेदन पर दिये गये आदेश के विरूद्ध कोई चाराजोही नहीं कर सके। प्रस्तुत अपील में तथ्यों से स्पष्ट है कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा वादी के वाद को नहीं, प्रतिवादी के प्रति दावे को नहीं, प्रतिवादी के जवाबदावे को डिक्री किया गया है जो स्पष्टतः ही विधि के प्रतिकूल है। जवाबदावे को डिक्री किया जाने का निर्णय विधि की दृष्टि से शून्य है। जहां जो आदेश प्रारम्भतः ही शून्य एवं अवैध हो, को किसी भी समय आक्षेपित किया जा सकता है। परिसीमा लागू नहीं होती है। इस प्रकार वादी/अपीलांट द्वारा प्रस्तुत आवेदन धारा 5 मियाद

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी

न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी

अधिनियम स्वीकार की जाकर विलम्ब माफ किये जाने योग्य है। विभाजन प्रस्ताव जो तहसीलदार सीकर द्वारा तैयार किया गया वह समस्त पक्षकारों की उपस्थिति में नहीं किया गया और ना ही विधिक प्रावधानों के अनुरूप किया गया। बंटवारा प्रस्ताव रूल 18 से 21 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 में डिक्री द्वारा विभाजन के संबंध में रूल 20 में प्रावधान किये गये है। विचारण न्यायालय ने विधिक प्रावधानों की पालना किये बिना विचाराधीन निर्णय पारित कर विधिक त्रुटि की है। अतः अपील स्वीकार की जावें। विद्वान अधिवक्ता ने अपने कथनों के समर्थन में आरआरटी 2023 (1) पेज 476, डीएनजे 2023(1) पेज 1401, आरआरटी 2005(2) आरबी पेज 839, आरबीजे (13) एचसी पेज 796, आरबीजे 2016 पेज 679, आरआरडी 2019 पेज 758, डीएनजे 2021(1) पेज 729 के न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत किये।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेंट ने तर्क दिया कि तहसीलदार ने विभाजन प्रस्ताव नियमानुसार सभी खातेदारान को सूचित कर स्वयं मौके पर रहकर बनाया है। वादी की आपत्ति है कि सभी खसरा नम्बर में कभी खातेदारों को हिस्सा मिलना चाहिये था। इस बाबत जवाबदातागण का कथन है कि उन्होने अपने जवाबदावा में यह स्पष्ट अंकित किया था कि विवादित भूमियों का पूर्वजों के समय से ही बाहमी बंटवारा हो रखा है तथा उसी अनुसार सभी खातेदार काबिज काश्त है। इस कथन का खण्डन वादी द्वारा अपनी बहस में व आपत्ति में नहीं किया गया है। तहसीलदार द्वारा विभाजन प्रस्ताव विधिवत नियम 18 से 21 के प्रावधानों को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। विभाजन प्रस्ताव में वादी केशरदेव ने हस्ताक्षर करने से मना किया का नोट लगा है। वादी ने बंटवारा हेतु प्राथमिक डिक्री जारी करने हेतु अपनी सहमति लिखित में प्रदान की है। वादी ने बाहमी बंटवारा पूर्वजों के समय से होने के कथन का कहीं खण्डन नहीं किया है। वादी ने तारबंदी व कब्जा काश्त किस खसरा नम्बर पर है अंकित नहीं किया है केवल मात्र यह आपत्ति की गई है कि सड़क से लगती हुई एवं सभी खसरा नम्बरों में से सभी खातेदारों को

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी

हिस्सा मिलना चाहिये। बंटवारे के प्रावधानों में यह प्रावधान भी है कि यदि पक्षकारों द्वारा बाहमी बंटवारा किया जाकर मौके पर उसी अनुसार काबिज काश्त है तो उसी अनुसार बंटवारा प्रस्ताव तैयार किया जावें। तहसीलदार द्वारा विभाजन प्रस्ताव में सभी खातेदारों के हिस्से में आने वाली भूमि तक पहुचने के रास्ते का प्रस्ताव भी प्रस्तुत किया गया है। इस प्रकार तहसीलदार द्वारा विभाजन प्रस्ताव विधिवत एवं सभी पक्षों को सूचना देकर तैयार किया गया है। विचारण न्यायालय में विभाजन का वाद वादी अपीलांट का था। प्राथमिक डिक्री की अपील अपीलांट द्वारा मियाद बाहर प्रस्तुत की गई है। विलम्ब का दिन प्रतिदिन का संतोषप्रद कारण अंकित नहीं किया गया है। ऐसी स्थिति में अपीलांट धारा 5 का लाभ प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। विचारण न्यायालय ने विधिक प्रकिया अनुसार प्राथमिक डिक्री जारी कर नियम 18 से 21 की पालना में विभाजन प्रस्ताव प्राप्त होने पर अपीलांट द्वारा प्रस्तुत आपत्ति का विधिवत निस्तारण कर अंतिम डिक्री जारी की है। विचारण न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है। अपील सारहीन है। खारिज की जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि तहसीलदार ने विभाजन प्रस्ताव नियमानुसार सभी खातेदारान को सूचित कर स्वयं मौके पर रहकर बनाया है। वादी की आपत्ति है कि सभी खसरा नम्बर में कभी खातेदारों को हिस्सा मिलना चाहिये था। इस बाबत जवाबदातागण का कथन है कि उन्होने अपने जवाबदावा में यह स्पष्ट अंकित किया था कि विवादित भूमियों का पूर्वजों के समय से ही बाहमी बंटवारा हो रखा है तथा उसी अनुसार सभी खातेदार काबिज काश्त है। इस कथन का खण्डन वादी द्वारा अपनी बहस में व आपत्ति में नहीं किया गया है। तहसीलदार द्वारा विभाजन प्रस्ताव विधिवत नियम 18 से 21 के प्रावधानों को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। विभाजन प्रस्ताव में वादी केशरदेव ने हस्ताक्षर करने से मना किया का नोट लगा है। वादी ने बंटवारा हेतु प्राथमिक डिक्री जारी करने हेतु अपनी

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

सहमति लिखित में प्रदान की है। वादी ने बाहमी बंटवारा पूर्वजों के समय से होने के कथन का कहीं खण्डन नहीं किया है। वादी ने तारबंदी व कब्जा काश्त किस खसरा नम्बर पर है अंकित नहीं किया है केवल मात्र यह आपत्ति की गई है कि सड़क से लगती हुई एवं सभी खसरा नम्बरों में से सभी खातेदारों को हिस्सा मिलना चाहिये। बंटवारे के प्रावधानों में यह प्रावधान भी है कि यदि पक्षकारों द्वारा बाहमी बंटवारा किया जाकर मौके पर उसी अनुसार काबिज काश्त है तो उसी अनुसार बंटवारा प्रस्ताव तैयार किया जावें। तहसीलदार द्वारा विभाजन प्रस्ताव में सभी खातेदारों के हिस्से में आने वाली भूमि तक पहुचने के रास्ते का प्रस्ताव भी प्रस्तुत किया गया है। इस प्रकार तहसीलदार द्वारा विभाजन प्रस्ताव विधिवत एवं सभी पक्षों को सूचना देकर तैयार किया गया है। विचारण न्यायालय में विभाजन का वाद वादी अपीलांट का था। प्राथमिक डिक्री की अपील अपीलांट द्वारा मियाद बाहर प्रस्तुत की गई है। विलम्ब का दिन प्रतिदिन का संतोषप्रद कारण अंकित नहीं किया गया है। ऐसी स्थिति में अपीलांट धारा 5 का लाभ प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। विचारण न्यायालय ने विधिक प्रक्रिया अनुसार प्राथमिक डिक्री जारी कर नियम 18 से 21 की पालना में विभाजन प्रस्ताव प्राप्त होने पर अपीलांट द्वारा प्रस्तुत आपत्ति का विधिवत निस्तारण कर अंतिम डिक्री जारी की है। विचारण न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है। हम इसमें कोई विधिक त्रुटि नहीं पाते है। अतः इसमें हस्तक्षेप करना हम उचित नहीं समझते है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट खारिज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 16.8.24 को सरे इजलास सुनाया गया।

(बलदेवाराम धोजक)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर